HIMS/2023/697

दिनांकः 25 जुलाई, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष
काउन्सिलिंग बोर्ड / कुलपति
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बार्यौखाला, शिशमबाड़ा
देहरादून।

विषयः–विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2023–24 के लिए मेडिकल / डेन्टल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट यू0जी0–2023 काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्रांक 605 / एच0एन0बी0यू0एम0यू0 / नीट यू0जी0 / 2023–24, दिनांक 07 जुलाई, 2023 तथा उक्त के क्रम में हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज के पत्र सं0 HIMS/2023/642 दिनांक 10 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के बिन्दु सं0–03 द्वारा वांछित सूचना निम्नवत् है:–

बिन्दु –03 :– शुल्क का विवरणः–

अवगत कराना है कि शासन द्वारा अनुमोदित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों के नियम–7 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कालेज हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज के अधीन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा वर्ष 2017 में 03 (तीन) वर्षो हेतु किया गया था। तदोपरान्त उक्त निर्धारित शुल्क विगत 06 (छः) वर्षो तक लागू रहा। सत्र 2023–2024 हेतु उक्त शुल्क पुनरीक्षित किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कालेज हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज में उपलब्ध एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 हेतु निम्नवत् है:–

Category	Tuition Fee per annum
For Permanent Residents of Uttarakhand Candidates (40% Seats) – 60 seats	Rs. 15,17,000/- (Rupees fifteen lakhs seventeen thousand only)
For other Candidates (60% Seats) – 90 seats	Rs. 20,50,000/- (Rupees twenty lakhs fifty thousand only)

उपरोक्त शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क (Other Fee):

(i) One time non refundable Admission fees of Rs. 1,00,000/- for all categories.
(ii) One time Refundable Security fees of Rs. 2,00,000/- for all categories.
(iii) Hostel Fee for all categories Non-AC rooms shall be Rs. 90,000/- p.a. on twin sharing basis and for AC rooms Rs. 1,20,000/- p.a. on twin sharing basis.
(iv) Mess charges: as per actuals.

AKDeoari

Himalayan Institute of Medical Sciences
Principal

स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, देहरादून (उत्तराखंड) 248016
Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun (Uttarakhand) 248016
Tel.: 91-135-2471158 / 2471123 Fax: 91-135-2471141 Email: principal.hims@srhu.edu.in Website: www.hims.srhu.edu.in

(v) Enrolment fee (one time) for all categories: Rs. 1,000/-
(vi) Charges for Hepatitis-B vaccination for all categories: Rs. 1,500/-.
(vii) University Examination fee shall be charged as per University rules as and when required.
(viii) Dress Material Fee (one time) for all categories: Rs. 10,000/-
(ix) Convocation Charges (to be charged in the final year) : Rs. 2,000/-
(x) Alumni fee (to be paid in the final year) : Rs. 1,000/-

नोट – विदित है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 यथा संशोधित अधिनियम 2010 एवं 2018 की धारा–12 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05/07/2018 द्वारा यह आदेशित किया गया कि "उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 यथा संशोधित अधिनियम 2010 एवं 2018 के प्रावधान स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक कॉलेजों पर लागू नहीं होते है, इसलिए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय व इसके संघटक कालेजों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण शासन द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के नियम–7 के अन्तर्गत किया जाना तर्कसंगत एवं विधिसम्मत है। अपीलीय प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश को उच्च शिक्षा विभाग के आदेश सं0 638/XXIV(3)/2018-05(06)2017 दिनांक 02 अगस्त, 2018 द्वारा लागू किया जा चुका है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश 1045/XXVIII(1)/2018-Writ-59/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा निदेशक चिकित्सा शिक्षा को उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 02/08/2018 के क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (एम0एस0) सं0– 2566 वर्ष 2018, वर्तिका चौहान व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 26/04/2022 को अपीलीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 05/07/2018 को यथावत् रखते हुए यह निर्णय दिया है कि "उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006", के प्रावधान स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय व इसके संघटक कालेजों पर लागू नहीं होते है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/04/2022 को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल की सम्मानित डिवीजन बेन्च के समक्ष स्पेशल अपील सं0 125 वर्ष 2022, अपील सं0 130 वर्ष 2022 व अपील सं0 131 वर्ष 2022 दाखिल कर चुनौती दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेन्च ने स्पेशल अपील सं0 125 वर्ष 2022 को दिनांक 10/06/2022 तथा अपील सं0 130 वर्ष 2022 व अपील सं0 131 वर्ष 2022 को दिनांक 20/06/2022 को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/04/2022 को यथावत प्रभावी रखा।

आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,
AKDeorari
प्रधानाचार्य
Institute of Medical Sciences Principal Himalayan

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
3. कुलसचिव, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौली ग्रान्ट, देहरादून।

स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, देहरादून (उत्तराखंड) 248016
Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun (Uttarakhand) 248016
Tel.: 91-135-2471158 / 2471123 Fax: 91-135-2471141 Email: principal.hims@srhu.edu.in Website: www.hims.srhu.edu.in